International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

स्त्री अस्मिता के परिप्रेक्ष्य में नारीवाद: अतीत, यथार्थ और संभावनाओं का एक विधिक अध्ययन

(Feminism in the Context of Women's Identity: A Legal Study of its Past, Reality and Future Possibilities)

अतुल कुमार यादव[1], प्रो. डी पी यादव[2]

[1]शोध छात्र, विधि संकाय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

[2]प्रोफेसर, विधि संकाय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

सारांश (Abstract)

नारीवाद केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकासक्रम में अधिकार, अस्मिता और समानता की वह अनवरत पुकार है, जिसने सदियों की मौन पीड़ा को शब्द प्रदान किया। यह उस चेतना का उद्घोष है, जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचनाओं में हाशिये पर रखी गई स्त्री के अस्तित्व को केंद्र में लाने का प्रयास करती है। "स्त्री अस्मिता" का अर्थ मात्र स्त्री का अस्तित्व या पहचान भर नहीं है, बल्कि यह उसकी चेतना, गरिमा, आत्मनिर्भरता और स्वत्व-बोध का समेकित स्वरूप है। यह उस मनुष्यत्व की पुनर्स्थापना है, जो पितृसत्तात्मक परंपराओं, रूढ़ियों और सामाजिक प्रतिबंधों के बीच दबा हुआ था। भारतीय विधि-तंत्र ने स्त्री अस्मिता की इस चेतना को संविधानिक आदर्शों, न्यायिक व्याख्याओं और विधिक सुधारों के माध्यम से सशक्त करने का सतत प्रयास किया है। संविधान के मौलिक अधिकारों में निहित समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के सिद्धांत नारी के स्वत्व के विधिक संरक्षण के आधार बने हैं, वहीं न्यायपालिका ने अपने प्रगतिशील निर्णयों द्वारा नारी को न्याय, गरिमा और आत्मनिर्णय के अधिकार से संपुष्ट किया है। यह शोध-पत्र स्त्री अस्मिता की उस विकास-यात्रा का विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें "अतीत" के संदर्भ में स्त्री की स्थिति को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं ने परिभाषित किया, "वर्तमान" में भारतीय संविधान और न्यायपालिका ने उसे पुनः प्रतिष्ठित और संरक्षित किया, और "भविष्य" में वह स्वयं अपनी परिभाषा गढ़ने, अपने अधिकारों की संरचना करने और अपने अस्तित्व की स्वायत्तता स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। यह शोध नारी अस्मिता की उस सतत यात्रा का साक्षी बनने का प्रयास है, जो "अतीत की परंपरा" से "वर्तमान की पुनर्स्थापना" और "भविष्य की स्वतन्त्र परिभाषा" तक विस्तृत है।

मुख्य शब्द: नारीवाद, अस्मिता, विधि, समानता, न्यायपालिका, संविधान, नारी चेतना।

प्रस्तावना

इतिहास के झरोखों में अतीत चाहे कितना भी 'गौरवशाली' क्यों न रहा हो, या कितना भी रंगीन चित्र क्यों न प्रस्तुत करता हो और विश्व में उभरते अनेकानेक महिला आंदोलनों की भांति भले ही हमारे देश में भी कितने ही स्तरों पर कितने ही उद्देश्यों को लेकर महिला आंदोलन क्यों न उठे हों और भले ही उन्हें किसी सीमा तक सफलता भी क्यों न मिली हो, तो भी हमारे देश में आज-स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी - नारी की जो हीन स्थिति है, उसे देखकर गौरव, नहीं होता, बल्कि हीनता व्यापती है और कुंठा ही होती है कि इक्कीसवीं सदी में विश्व गुरु बनने को आतुर हमारा यह महान् देश आज भी मानवता और संस्कृति के आधार उस नारी को कितनी गिरी हुई स्थिति में डाले हुए है, जिसे पूजनीय माना जाता था। यह वही देश है, जिसमें उद्घोष किया जाता था कि 'जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता वास करते हैं।[1]

जिस देश के धार्मिक ग्रंथों में नारियों को देवी की तरह पूजा जाता रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः[2] उस देश में आज शक्ति की स्वरूपा कहीं जाने वाली स्त्रियां हाशिए पर खड़ी है। ये वही भारतवर्ष है जिसकी गाथा वेदों,पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथों में स्वर्णिम अक्षरों से उकेरी गई है। जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। उसी देश में विशेष रूप से स्त्री को देवी शक्ति के रुप में पूजा करते थे। वह धीरे-धीरे अबला[3] कैसे हो गयी? कभी कोई ऐसा इतिहासकार, विधिशास्त्री न हुआ जो हाशिए पर खड़ी स्त्रियों की दुःखभरी जीवनगाथा लिखता; जो इनके अँधेरे हृदय में इच्छाओं के उत्पन्न और नष्ट होने की करुण-कहानी को सुनाता, जो इनके रोम-रोम को जकड़ लेने वाली श्रृंखला की कड़ियां ढालने वालों के नाम गिनाता और जो इनके मधुर जीवनपात्र में तिक्त विष मिलाने वालें का पता देता। क्या यह उन स्त्रियों की सजातीय नही है, जिनकी दुग्ध-धारा से मानव जाति पल रही है? इन स्त्रियों ने, जिन्हें भारतवर्ष के गर्वित समाज कुलटा[4], बाझिन, पतित[5], सर्प, हेवा कहकर तिरस्कृत करता चला आ रहा है[6], पुरुष की वासना की वेदी पर कैसा घोरतम बलिदान दिया है, इस पर कभी किसी विधिशास्त्री/इतिहासकार ने विचार नहीं किया। यह अन्याय ही नही, निष्ठुर अत्याचार भी है, इसे प्रमाणित करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। हम उनकी ओर से ऑख मूंदकर कुछ समय के लिए अपने अन्याय को अनदेखा कर सकते हैं, परन्तु हमारी यह उदासीनता उसे न्याय नहीं बना सकती। जिस समाज में

---

[1] यंत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता। मनु स्मृति, अध्याय-3 श्लोक-56; मनु स्मृतिः संपादक, पंडित हरिशंकर शास्त्री, संस्करण-2024, साक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली

[2] पंडित श्रीरामनारायण दत्त जी शास्त्री: “श्री दुर्गासप्तशती” पंचम अध्याय श्लोक 32-34, गीता प्रेस गोरखपुर कोड 118; मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, कोड-539 इक्कीसवां पुनर्मुद्रण- सम्वत-2074, पृष्ठ 358

[3] अबला जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी
आँचल में है दूध और आँखों में पानी!, मैथिलीशरण गुप्त: यशोधरा; राहुल जननी (2), चतुर्थावृत्ति 1997 साहित्य प्रेस चिरगांव झांसी पृष्ठ संख्या-49; राष्ट्र कवि मैथिलीशरण शरण गुप्त द्वारा रचित प्रबंध काव्य यशोधरा (1933) से उद्धृत

[4] यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतिव्रता।
तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्यैतन्निदर्शनम्॥ अध्याय- 9, 20वां श्लोक; पंडित हरिशंकर शास्त्री (सम्पादित)-मनुस्मृति संस्करण (2024) साक्षी प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ संख्या- 282, आई0एस0 बी0 एन0 संख्या: 978-93-84456-75-7

[5] पौंश्चल्याञ्चलचित्ताच नैस्नेहयाच्च स्वभावतः।
रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते॥ तत्रैव अध्याय, 15वां श्लोक, पृष्ठ संख्या- 281

[6] साहस अनृप चपलता माया। भय अविवेक असौच आदाया॥, गोस्वामी तुलसीदास: श्री रामचरितमानस, लंका काण्ड चौपाई-2

इतनी अधिक संख्या में व्यक्ति आत्म-हनन के लिए के विवश किये जाते हों, अपने स्वस्थ और सुन्दर शरीर को व्याधिग्रस्त, कुरूप, तथा निर्दोष मन को दूषित बनाने के लिए बाध्य किये जाते हों, उस समाज की स्थिति कभी स्पृहणीय नहीं कही जा सकती। आदिम युग से ही नारी ने अपने आपको पुरुष से दुर्बल पाया। प्रकृति ने केवल उसके शरीर को अधिक सुकुमार नहीं बनाया वरन उससे जननी का पद देकर उसके हृदय में अधिक समवेदना, आंखों में अधिक आर्द्रता तथा स्वभाव में कोमलता भर दी। परन्तु वर्तमान समाज जिस स्त्री के कोमल शरीर को ख़रोंच कर, उसके फूटे कपाल को ऐसे लोहे से दाग़ देता है उसका चिह्न जन्म-जन्मान्तर के आँसुओं से भी नहीं धुल पाता। दर्पण का उपयोग तभी तक है जब तक वह किसी दूसरे की आकृति को अपने हृदय में प्रतिबिम्बित करता रहता है, अन्यथा लोग उसे निरर्थक जानकर फेंक देते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति हाशिए पर खड़ी शक्तिरूपेण(स्त्री) के साथ रही। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाऐं अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त रही है। स्त्रियों के पतन का मुख्य कारण था उनकी 'अशिक्षा'। कुछ विद्धानों के अनुसार हिन्दू वर्ण व्यवस्था, कर्मकाण्डों की जटिलता तथा ब्राह्मणवाद स्त्रियों की दयनीय स्थिति और पतन के मुख्य कारण है अशिक्षा जिसके कारण स्त्रियों ने बिना किसी तर्क के इन पक्षपातपूर्ण धार्मिक विधानों को स्वीकार किया, जिसके कारण वे अपने अधिकारों से वंचित हो गई। अनेक प्रकार की विवाह सम्बन्धी कुरीतियां जैसे-अन्तर्विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर नियंत्रण आदि ने भी समाज में स्त्रियों का सम्मान गिराने में काफी योगदान किया।[7]

दरअसल शताब्दियों से प्रवाहित इनके जीवन की दशा और दिशा सदैव एक सी नहीं रही है। यह अतीत के जंगल के उस वृक्ष की तरह रही जिसके साथ शताब्दियों से दु:खुद स्मृतियां जुड़ी हुई थी। लेकिन यह स्थिति भी अधिक समय तक नहीं रहीं। ज्यों ज्यों सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, त्यों-त्यों नारी की चेतना जागृत हुई। उसके अतीत के मुरझाए फूल पुनः पुष्पित होने लगे। नारी की स्थिति पुनः सुदृढ़ होने लगी। दरअसल वेदों की नारी हमेशा ही पूज्य रही हैं, वे स्तुति योग्य हैं, रमणीय हैं, आह्वानयोग्य हैं-, सुशील हैं, बहुश्रुत हैं, यशोमयी हैं। “अनेक ऋषिकाएँ वेद मंत्रों की द्रष्टा हैं- “अपाला”[8], “गार्गी”[9], “घोषा”[10],“सरस्वती”,“सर्पराज्ञी”,“सूर्या”,“सावित्री”,“अदिति-दाक्षायनी”, “लोपामुद्रा[11]”, “विश्ववारा आत्रेयी”[12] आदि।”[13] वैदिक कालीन स्त्री की विदुषिता होने का उदाहरण हमें उनके विद्धता भरे शास्त्रार्थ में दिखाई पड़ता है।[14]

---

[7] डा0 रूचि अग्रवाल: भारतीय लोकतंत्र में महिला विकास से सम्बंधित समस्याएँ एवं समाधान; प्रथम संस्करण (2017) राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृष्ठ संख्या- 3

[8] अपाला मिन्द्र त्रिष्पूत्वकृर्णोः सूर्यत्वचम्।; डा0 बेनी प्रसाद, प्रयाग एकेडमी, सयुंक्त प्रान्त, 1931, पृष्ठ संख्या- 40-41

[9] कल्याण, वेद कथांक, गीता प्रेस संवत्- 2066, पृष्ठ संख्या- 400-405; स0 रेखा मोदी, ए क्यूट फार रूट्स स्त्री शक्ति, स्त्री पब्लिकेशन, कोलकाता, 1999, पृष्ठ संख्या- 125

[10] भगवती देवी शर्मा, ऋग्वेद संहिता, सरल हिन्दी भावार्थ सहित, भाग - 2, (मण्डल: 9-10), परिशिष्ट-1, प्रकाशक- ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, 1995, पृष्ठ संख्या-6

[11] तपोनिष्ठ पं0 श्री राम शर्मा आचार्य, भगवती देवी शर्मा, ऋग्वेद संहिता, सरल हिन्दी भावार्थ सहित, भाग - 2, (मण्डल: 1-2), परिशिष्ट-1, प्रकाशक- ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, 1995, पृष्ठ संख्या - 4

[12] वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं0 श्री राम शर्मा आचार्य, भगवती देवी शर्मा, ऋग्वेद संहिता, सरल हिन्दी भावार्थ सहित, भाग - 2, (मण्डल: 3,4,5,6), परिशिष्ट-1, प्रकाशक- ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, 1995, पृष्ठ संख्या - 10

[13] डा0 सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ, तृतीय संस्करण, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या-84

[14] गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्॥; ऋग्वेद : मण्डल-1, सूक्त:164, मन्त्र: 41; भावार्थ भाषा: जो स्त्री समस्त साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढ़के पढ़ाती हैं, वे सब मनुष्यों की उन्नति करती हैं। ऐसे निर्मल मन वाली स्त्री जिसका

मानव जाति की जननी और उसके चरित्र की विधात्री होने के कारण, यदि स्त्री के जीवन का आदर्श कुछ ऊँचा रक्खा गया तो समाज ने कोई विशेष अन्याय नही किया। परन्तु अन्याय यही हुआ कि अपने आदर्श की चिन्ता में उसने मनुष्य-स्वभावगत उन दुर्बलताओं का कोई ध्यान ही नही रक्खा, जो स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से विद्यमान रहती है।[15]

धर्म, समाज और साहित्य में शक्ति स्वरूपा स्त्री को विभिन्न रूपों में परिभाषित की गया। कभी वह पुरुषों की अनुगामिनी और अबला एवं त्याग की मूर्ति बताई गयी है, तो कभी आवेगमयी चंचल जो तर्क के बन्धन को नहीं मानती है। वैदिक काल से मिसाइल युग तक के विकास क्रम में हमने धर्म छोड़ा, आस्था छोड़ी, आचार एवं चरित्र छोड़ा, परंपराएं तोड़ीं, संस्कार छोड़े, किंतु क्या कारण है कि पुत्र का मोह नहीं छोड़ पाए, उसे हमने पुत्री के ऊपर सदैव तवज्जो दी है और आज भी दे रहे हैं। किसी भी नवदंपती ने प्रथम कन्या की कामना नहीं की, पुत्र की ही कामना की किंतु यदि कन्या हो गई तो उसे स्वीकार कर लिया, क्रमशः वैदिक काल में कन्या को ऋचाओं के रूप में स्थापित भी किया। एक व्यापक स्तर पर अनादिकाल से लगभग अस्सी के दशक तक तो हमने कन्या जन्म को बुझे मन से सराहा, स्वीकार किया और पढ़े-लिखे या नगरीय तबके के लोगों ने उसकी अच्छी परवरिश भी की, किंतु अच्छी परवरिश के बावजूद वे अभिभावक अपनी संतान (कन्या) को संतुष्टि, तृप्ति, समाज में सम्मान, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति पर अधिकार नही दिला सके। अब अस्सी के दशक के बाद का युग आया, एक सामाजिक परिवर्तन आया, बहुत अधिनियम, विधेयक बने, पास हुए। कितने कार्यान्वित हुए या स्त्री उन अधिनियमों का कितना उपयोग कर पाई, यह सब हमारे दाएं-बाएं दिखाई दे रहा है।[16]

संस्थापक स्वरूपों में नारी की शक्ति-विहीनता को निरन्तरता की प्रक्रिया व प्रतिमानों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। नारी के वैधव्य का जीवन व उससे जुड़े हुए अनेक प्रतिबंध उसकी छवि व प्रस्थिति का नकारात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं। पर्दा-प्रथा व सती प्रथा जैसे संस्थात्मक व रूढ़िगत आयामों ने देश के विशिष्ट भागों में नारी को समाज के द्वारा प्रताड़ित किया है। दहेज तथा पिसृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था, पुत्र प्राथमिकता, आदि के माध्यम से समाज में नारी का स्थान परिवार की चाहरदीवारी व नाते-रिश्तेदारी के दायित्व निभाने तक सीमित रहा। इसके अतिरिक्त परित्यक्ता बाँझ, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, बालिका वध जैसे संस्थागत प्रतिमानों से नारी की प्रस्तुति

मन एक पारदर्शी स्फटिक जैसे परिशुद्ध जल की तरह हो वह एक वेद, दो वेद या चार वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थवेद इत्यादि के साथ ही छ : वेदांगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद : को प्राप्त करे और इस वैविध्यपूर्ण ज्ञान को अन्यों को भी दे। पदार्थान्वयभाषाः हे स्त्रियों पुरुषों! जो एक वेद का अभ्यास करने वाली वा दो वेद जिसने अभ्यास किए वा चार वेदों की पढ़ने वाली वा चार वेद और चार उपवेदों की शिक्षा से युक्त वा चार वेद चार उपवेद और व्याकरण आदि शिक्षा युक्त, अतिशय कर के विद्याओं में प्रसिद्ध होती और असंख्यात अक्षरों वाली होती हुई सब से उत्तम, आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त प्रयत्न करती है और गौ स्वर्ण युक्त विदुषी स्त्रियों को शब्द कराती अर्थात् जल के समान निर्मल वचनों को छांटती अर्थात् अविदयादी दोषों को अलग करती हुई वह संसार के लिए अत्यंत सुख करने वाली होती है।; डा0 गंगा सहाय शर्मा; ऋग्वेद (सायण आचार्य के भाष्य पर आधारित ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद) संस्करण (2016) संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, ISBN : 978-93-5065-223-7 पृष्ठ- 446

[15] महादेवी वर्मा: श्रृंखला की कड़िया चतुर्थ संस्करण-2017 लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद पृष्ठ संख्या-83

[16] सीमा दीक्षित: स्त्री अस्मिता: शय्या से सर्वोच्च अदालत तक, द्वितीय संस्करण-2017 सामयिक बुक्स प्रकाशक नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-30-31

को निम्न स्तरीय बनाकर सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों, मानदण्डों व संरचनाओं से जोड़ दिया। नारी की विरोधाभासी छवि प्रस्तुतिकरण के कारण, स्थान व काल की स्थितियों व अनुभवों से जुड़े हुए हैं। संस्कृति की मूल पहचान का आधार तत्कालीन विकृतियों के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता, वैचारिक स्वतन्त्रता व बहुरूपी जीवन-शैली का परिणाम रहा है। भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता के कारण ही देश की ऐतिहासिक निरन्तरता बन रही है।[17] विविधताओं में मात्र कुछ उदाहरणों को लेकर अथवा लम्बे इतिहास के किसी काल विशेष को आधार मानकर, सम्पूर्ण देश नारी की प्रस्तुति के सम्बन्ध में साधारणीकरण करना या तो अज्ञानता का द्योतक है, अथवा पश्चिम के ज्ञान की राजनीति द्वारा जोड़-तोड़ का उदाहरण है। इस पश्चिमी प्रस्तुतिकरण का अर्थ यह नहीं है कि तत्कालीन सन्दर्भ में नारी की प्रस्थिति व शक्तिकरण का मुद्दा किसी भी दृष्टिकोण व परिसूचकों के माध्यम से नारी व पुरुष के मध्य असमानता व शोषण का आयाम स्पष्ट कर सके। शिक्षा की दर, कुपोषण, बालिका भ्रूण हत्या, दहेज को लेकर नारी की प्रताड़ना, बलात्कार व ऐसे अनेक मुद्दे हैं; जिनसे यह स्पष्ट है कि नारी की प्रस्थिति का प्रश्न देश की आधी आबादी का प्रश्न है।[18]

अतः नारी आन्दोलन, संवैधानिक हस्तक्षेप, सामाजिक सुधार, शिक्षा, तार्किक प्रतिनिधित्व के माध्यम से नारी की प्रस्थिति में बदलाव की आवश्यकता है। जिस प्रकार तराजू में दोनों तरफ बराबर भार रखने पर वह संतुलित होता है ठीक उसी तरह किसी भी समाज व राष्ट्र में संतुलन बनाने के लिए जरूरी है कि वहाँ पुरुषों तथा स्त्रियों के मध्य लैंगिक समानता स्थापित की जानी चाहिए।[19]
नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत स्त्री-असमानता, उत्पीड़न और अधीनता के कारणों तथा उनके समाधान को लेकर विभिन्न विचार उभरते हैं। इस विविधता के कारण नारीवाद कई धाराओं में विभाजित दिखाई देता है। सामान्यतः इसे तीन प्रमुख धाराओं उदारवादी नारीवाद, आमूलपरिवर्तनवादी (रेडिकल) नारीवाद, और समाजवादी नारीवाद के रूप में समझा जा सकता है।

उदारवादी नारीवादः

उदारवादी नारीवाद नारीवादी विचारधारा की शुरुआती और बुनियादी धारा मानी जाती है, जो उदारवाद के मूल सिद्धांतों के आधार पर स्त्रियों के अधिकारों और समानता की वकालत करती है। यह धारा क्रांतिकारी बदलाव के बजाय क्रमिक सुधार और कानूनी उपायों पर बल देती है तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बराबरी को महत्वपूर्ण मानती है।[20] मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट, जे.एस. मिल, बेट्टी फ्रीडन और कैरोल पेटमैन इसके प्रमुख विचारक हैं। मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने अपनी कृति विंडीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन (1792) में यह बताते हुए सामाजिक ढाँचे की आलोचना की कि स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा गया और सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें अवसर नहीं दिए गए।[21] जॉन स्टूअर्ट मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वीमेन (1869) में कहा कि स्त्री-पुरुष संबंध आधिपत्य पर नहीं,

---

[17] डा0 अर्चना श्रीवास्तव: नारीवाद, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्याय श्रियांशी प्रकाशन आगरा पृष्ठ संख्या- 22

[18] दैनिक जागरण अखबार 16 सितम्बर 2018, पृष्ठ संख्या- 14

[19] https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/closing-the-gender-gap-in-science

[20] Harold L Smith, British Feminism in the Twentieth Century, Edward Elgar publishing Limited England, 1990, Page - 190

[21] Wollstonecraft, Mary. A Vindication of the Rights of Woman. Ed. Miriam Brody Kramnick. Rev. ed. Harmondsworth: Penguin, 2004. ISBN 0-14-144125-9.

साझेदारी पर आधारित होना चाहिए। बेट्टी फ्रीडन, जिन्हें "महिला मुक्ति आंदोलन की जननी" कहा जाता है, ने द फेमिनिन मिस्टीक (1963) में स्त्री की स्वायत्तता और आत्मनिर्णय अधिकार को आवश्यक बताया।[22]

आमूलपरिवर्तनवादी (रेडिकल) नारीवाद

रेडिकल नारीवाद का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ और यह धारा सामाजिक संरचना में मूलभूत व व्यापक परिवर्तन की मांग करती है। यह न केवल सार्वजनिक बल्कि निजी जीवन में भी समानता की पक्षधर है। सिमोन द बुआ, शुलामिथ फायरस्टोन, केट मिलेट, वर्जीनिया वूल्फ, एलस्टीन और आयरिस मेरियन यंग इसके प्रमुख चेहरे हैं। सिमोन द बुआ ने द सेकंड सेक्स (1949) में कहा—"स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बना दी जाती है"—यानी पितृसत्तात्मक समाज स्त्री को 'द्वितीय लिंग' का दर्जा देता है।[23] वर्जीनिया वूल्फ ने महिलाओं की स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, "महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है।"[24] फायरस्टोन ने डायलेक्टिक ऑफ सेक्स (1970) में तकनीक को स्त्री मुक्ति का साधन माना और नारीवादी आंदोलन को नई दिशा दी।[25] केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स (1970) के माध्यम से बताया कि स्त्री-पुरुष संबंध जैविक नहीं बल्कि राजनीतिक हैं और पितृसत्ता सामाजिक संरचना का परिणाम है। उनकी कृति ने अमेरिकी नारी मुक्ति आंदोलन में नई ऊर्जा भरी।[26]

समाजवादी नारीवाद

समाजवादी नारीवाद का मानना है कि स्त्रियों की असमानता सिर्फ कानूनी या राजनीतिक उपायों से समाप्त नहीं की जा सकती। इनके अनुसार स्त्री-पुरुष असमानता की जड़ें सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था, विशेषकर पूँजीवाद में निहित हैं। इसलिए परिवर्तन के लिए सामाजिक क्रांति आवश्यक है। चार्ल्स फ्यूरिए, फ्रेडरिक एंगेल्स और शीला रोबाथम इस धारा के प्रमुख विचारक हैं। एंगेल्स ने अपनी पुस्तक में कहा कि निजी संपत्ति और पितृसत्तात्मक परिवार स्त्री दमन की शुरुआत का कारण हैं। समाजवाद के आगमन से निजी संपत्ति समाप्त होगी और स्त्रियाँ घरेलू श्रम के बोझ से मुक्त होकर समानता स्थापित कर सकेंगी।[27] शीला रोबाथम ने विमेन, रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन में स्त्री इतिहास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और कहा कि स्त्री मुक्ति का संघर्ष वास्तव में पूँजीवाद विरोधी आंदोलन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है।[28]

स्त्री अस्मिता (नारीवाद) के अंतरराष्ट्रीय आयाम

स्त्री अस्मिता का नारीवादी दृष्टिकोण उस चेतना का प्रतीक है, जो स्त्री को केवल देह या गृह की सीमा में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, संवेदनशील और विचारशील अस्तित्व के रूप में स्वीकार करने की मांग करता है। यह

---

[22] Harold L Smith, British Feminism in the Twentieth Century, Edward Elgar publishing Limited England, 1990, Page – 87

[23] Simon De Beauvoir: The Second Sex, 1949, Random House Inc New York, eISBN: 978-0-307-81453-1

[24] Virginia Woolf: A Room of One's Own Mariner Publishing Boston USA, First edition (December 27, 1989

[25] साधना आर्य,निवेदिता मेनन एवं जिनी लोक नीता नारीवादी राजनीती; संघर्ष एवं मुद्दे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन नई दिल्ली-2001 पृष्ठ संख्या-40

[26] सरला माहेश्वरी: नारी प्रश्न, राधा कृष्ण प्रकाशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली 2007 पृष्ठ संख्या-48

[27] Friedrich Engel: The Origin of the Family, Private Property and the State, First Edition 1884 Hottingen Zurich, Page-XLV

[28] Leslic L.Heywood, The Women's movement Today An En-cyclopedia of third-wave Feminism, Volume-1, A-Z, Green wood press, London, 2006, Page - XXV

दृष्टिकोण समाज की पितृसत्तात्मक जड़ताओं को चुनौती देता है, जहाँ स्त्री की आवाज़, उसकी आकांक्षाएँ और उसका व्यक्तित्व उपेक्षित रहे हैं। नारीवाद स्त्री अस्मिता को उस गरिमा से जोड़ता है, जो उसे अपने जीवन, निर्णय और अभिव्यक्ति पर स्वामित्व प्रदान करती है। इस प्रकार, यह केवल समानता का संघर्ष नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान, पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व की पुनर्प्राप्ति का आंदोलन है। यदि हम ऐतिहासिक रूप से नारीवादी मुद्दों की बात करें तो इनकी मांग है कि स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकारों की सामान्य श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए और संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में स्त्री-पुरुष की समानता स्वीकार की जाए। महिला आंदोलन नारीवाद के सैद्धांतिक पक्षों का व्यावहारिक प्रस्तुतीकरण है। प्राचीन या मध्यकाल में स्त्रियों की हीनतम स्थिति के विरुद्ध महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में नारीवाद 20वीं शताब्दी की देन है। महिला आंदोलन और उससे जुड़ा स्त्री मुक्ति का प्रश्न भी एक आधुनिक परिघटना है। संगठित नारीवादी आंदोलन की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई जब स्त्रियों द्वारा समस्त राजनीतिक एवं सार्वजनिक कार्यवाहियों में खुल कर हिस्सा लिया गया। इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों की कानूनी स्थिति में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव लाए गए जैसे- 1791 के कानून द्वारा स्त्री शिक्षा का प्रावधान, 1792 में स्त्रियों को नागरिक अधिकार प्रदान किये गए तथा 1794 के कानून द्वारा तलाक की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया।[29] अमेरिका में 1840 के दशक में एक लोकप्रिय सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ जिससे अमेरिका की स्त्रियों के अधिकारों के आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है।[30] इसी प्रकार 1869 में स्त्रियों को वोट देने के अधिकार के एक राष्ट्रीय एसोसिएशन की स्थापना हुई। ऐसे संगठन धीरे-धीरे यूरोप में भी बनने लगे। सभी विकसित देशों से यह मांग उठने लगी कि स्त्रियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें पहली सफलता 1893 में न्यूज़ीलैंड में मिली।[31] अमेरिका में 1920 में स्त्रियों को मतदान का अवसर मिला।[32] 1970 के दशक में नारीवाद ने अपने आपको एक विचारधारा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और 1990 के दशक में यह पूर्ण रूप से एक विचारधारा के रूप में स्थापित हुई। नारीवाद के विचार को 'न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स घोषणा पत्र, 1969[33]' के द्वारा सशक्त अभिव्यक्ति मिली। इसमें उल्लिखित किया गया कि, "स्त्रियाँ एक उत्पीड़ित वर्ग हैं। स्त्रियों का उत्पीड़न सर्वव्यापक है जो स्त्रियों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है।"[34] 21वीं शताब्दी के आरंभ में इस विचारधारा में कई प्रभावशाली परिवर्तन हुए। आज नारीवाद एक बहुआयामी और प्रभावकारी विचारधारा है जिसने न सिर्फ अकादमिक जगत में बल्कि व्यवहारिक रुप से सामाजिक परिवर्तन का भी कार्य किया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारीवादी विधिशास्त्र और यौन न्याय संबंधी अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेको प्रसंविदायें पारित कर महिलाओं के विभेदीकरण को रोकने का प्रयास किया गया है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अभिसमय, घोषणाएं, सम्मेलन प्रोटोकाल पारित करके महिलाओं को पुरुषों के बराबर

[29] मानव अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा 1789 ने जो संदेश दिया वह जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गया और लार्ड ऐक्टन (Lord Action) के शब्दों में इसका "एक अति भ्रमित पृष्ट.... वाचनालयों से ज्यादा वजनदार है और नेपोलियन की पूरी सेना से ज्यादा शक्तिशाली है।" मानव अधिकार की यह फ्रांसीसी घोषणा पत्र मानवाधिकार के विकास में मील का एक पत्थर बन गया।

[30] https://history.howstuffworks.com/historical-events/seneca-falls-convention.htm

[31] https://nzhistory.govt.nz/politics/womens-suffrage

[32] अमेरिकी संविधान के 19वें संशोधन के पारित होने के बाद अमेरिका में स्त्रियों को मतदान का अवसर मिला।

[33] https://www.redstockings.org/index.php/a-collective-radical-feminist-declaration

[34] https://www.redstockings.org/index.php/rs-manifesto

अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से उनके मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन किया। महिलाओं के समुचित विकास पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व महिला सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, ताकि महिलाएं स्वयं के विकास के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर सकें। इस सम्बन्ध में प्रमुख चार सम्मलेन महत्वपूर्ण रहे है - प्रथम विश्व महिला सम्मेलन, मेक्सिको (1975)[35], द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन कोपनहेगन, (1980), तीसरा विश्व महिला सम्मेलन, नैरोबी (1985) और चौथा विश्व महिला सम्मेलन, बीजिंग (1995)। इस दिशा समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक दस्तावेज और अभिसमय अंगीकार किये गए- महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय, (1952)[36], समान वेतन सम्बन्धी अभिसमय (1951)[37], शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध अभिसमय (1960)[38] दासता अभिसमय (1955), विवाहित महिलाओ की राष्ट्रीय अभिसमय (1957)[39], विवाह सम्बन्धी स्वीकृति विवाह की न्यूनतम आयु तथा विवाह के पंजीकरण सम्बन्धी अभिसमय (1964), राजनैतिक एवं नागरिक अधिकारों का अभिसमय (1966), आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारो पर अभिसमय (1966), यातना क्रूरता एवं अमानवीयता के विरुद्ध अभिसमय (1984), नागरिक राजनीतिक अभिसमय का वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1966), महिलाओ के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने सम्बन्धी अभिसमय का वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1999), आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारो का प्रोटोकॉल (2008), मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणापत्र 1948 के अन्तर्गत महिलाओ के अधिकार, महिलाओ के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्ति की घोषणा (1967)[40], महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय (सीडा) (1979)[41], मानवाधिकारों से सम्बन्धित तेहरान घोषणा (1968), मानवाधिकारों पर विएना घोषणापत्र (1993),

[35] संकल्प संख्या 3010 (XXVII), 18 दिसम्बर 1972, जी0 ए0 ओर0 आर0 27 वां अधिवेशन, सप्ली0 30. यू 0एन 0 डाक्यूमेंट ए/8730 (1972)

[36] महासभा संकल्प संख्या -640 (VII), 20 दिसम्बर 1952 ,यह 7 जुलाई 1954 से प्रभावी हुआ। यू 0एन 0डाक्यूमेंट एस0 टी0/एस0ए0 ओ0/ 27;यू एन पी सेल्स ,नम्बर-IV 17

[37] , समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951 (अभिसमय संख्या-100), यह अभिसमय 29 जून 1951, को अंगीकार किया गया जो 23 मई 1953 को प्रभावी हुआ।; https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100

[38] संयुक्त राष्ट्र संघ, शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन की सामान्य सभा (General Conference) में संख्या 4.1 के तहत यह अभिसमय 14 दिसम्बर 1960 को पेरिस के ग्यारहवें सम्मलेन में अंगीकार किया गया।

[39] संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव संख्या- 1040 (XI), जनवरी 29, 1957, प्रवर्तन तिथि- अगस्त 11, 1958, यह अभिसमय महासभा के 11वें सत्र में पारित किया गया।; यह अभिसमय राष्ट्रीयता की विधियों के विरोध सम्बन्धी कतिपय प्रश्नों पर हेग अभिसमय-1930 का आगे विकास है। यह अभिसमय, जहाँ तक स्त्री और पुरुषों के बीच समानता के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयत्न करता है। https://treaties.un.org/doc/Treaties/1958/08/19580811%2001-34%20AM/Ch_XVI_2p.pdf

[40] महासभा संकल्प संख्या 2263 (XXII), 7 नवम्बर 1967, जी0ए0ओ0आर0 22वां सम्मेलन, सप्लीमेंट संख्या-16. पृष्ठ संख्या- 33 ;यू 0एन 0डाक्यूमेंट ए 0/6716 (1967).

[41] महिलाओं के विरुद्द सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति पर अभिसमय, 1979, इस अभिसमय को महासभा द्वारा प्रस्ताव संख्या 34/180, तारीख 18 दिसम्बर, 1979 द्वारा अंगीकार किया गया। यह अभिसमय 3 सितम्बर, 1981 से यह अभिसमय प्रवर्तन में आया।; सीडॉ , विमेन 2000 डाक्यूमेंट , यू0 एन0 डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक इन्फोरमेशन द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ संख्या- 1-2

महादूतो का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1948), यू0एन0 वुमन, बालक के व्यवहार कार्यप्रणाली के अधिकारों पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल (2014) आदि है।[42]

स्त्री अस्मिता (नारीवाद) के भारतीय आयाम

भारतवर्ष की सामाजिक संरचना, उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के कारण भारत का नारीवादी आंदोलन पश्चिम से बिल्कुल भिन्न है। भारतवर्ष का नारीवादी आंदोलन 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है।[43] भारत में पहला नारीवादी आंदोलन समाज में विद्यमान अंधविश्वासों रूढ़ परंपराओं जैसे- सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि को समाप्त करने के उद्देश्य पर केंद्रित था।[44] राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले , सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, सर सैय्यद अहमद खान आदि विचारकों और समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्नों को प्रमुखता दी तथा विभिन्न संगठनों और कानूनी सुधार के माध्यम से स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और स्त्री अधिकार की दिशा में समर्पित प्रयास किया। दूसरा चरण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से जुड़ा हुआ है। इस दौर में महिलाएँ स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर श्रमिक आंदोलन में भी शामिल होने लगी। इस चरण में भारतीय महिला संघ (1917) जैसे विभिन्न संगठनों की स्थापना हुई और शारदा एक्ट (1929) जैसे कानूनी सुधार हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर के महिला उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जहाँ महात्मा गाँधी ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत व विधवाओं के शोषण का मुखर विरोध किया वहीं डॉ. अंबेडकर ने कानूनी सुधार(प्रसूति अवकाश, मताधिकार) व संवैधानिक प्रावधानों(समानता का अधिकार और लैंगिक विभेद का अंत) के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में व्यावहारिक प्रयास किया। इस दौर में प्रमुख नारीवादियों में कामिनी राय, सरला देवी चौधरानी, दुर्गाबाई देशमुख की भूमिका उल्लेखनीय रही है।[45]

भारत में नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण आजादी के बाद सार्वजनिक और निजी जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। यह प्रमुख रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, शिक्षा तक पहुँच, संपत्ति में अधिकार तथा लैंगिक विभेद के अंत से जुड़ा हुआ है। यदि हम वर्तमान में भारतीय नारीवादी विचारकों और आंदोलनकारियों की बात करें तो मेघना पंत, वृंदा करात, मधु किश्वर, मेधा पाटकर, गीता सहगल, वंदना शिवा, निवेदिता मेनन, नीरा देसाई, रूथ वनिता का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करने के लिए एवं अन्याय से संरक्षण प्रदान करने के लिये तथा भारत में अनेक विधियां बनायी गयी तथा समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निर्देश जारी किये गये। महिलाओ को लैंगिक भेदभाव- से संरक्षण से सम्बंधित भारतीय विधियों में, भारतीय संविधान की उद्देशिका, अनुच्छेद 14, 15, 15 (3), 16, 21 23, 38, 39क, 39ड़

[42] अतुल कुमार यादव, प्रो0 ए0 के0 नवीन: भारत में नारीवाद का उद्भव एवं विकास: विधायी एवं न्यायिक प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (शोध पत्र) वाराणसी मैनेजमेंट रिव्यू (अक्टूबर-दिसम्बर) 2019, वाल्यूम V नम्बर-4 आई0 एस0 एस0 एन0: 2395-0390 पृष्ठ संख्या-41

[43] के पी प्रमिला स्त्री अध्ययन की बुनियाद, संस्करण (2015) राज कमल प्रकाशन, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या-91

[44] डा0 पायल साहनी: नारीवाद भारतीय संदर्भ में एक दार्शनिक अध्ययन, प्रथम संस्करण 2022 संवेदना प्रकाशन नई दिल्ली पृष्ठ संख्या-53

[45] राधा कुमार स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800-1990 संस्करण 2014, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली पृष्ठ संख्या-173

39घ, 39च, 51क, ड़, 243ध, (3) , 243न (3) इत्यादि, भारतीय न्याय संहिता-2023 के अन्तर्गत महिलाओ से सम्बन्धित धाराये- 72, 294, 295, 296, 80, 88 से 94 तक, 74, 96, 64 से 70(2), 82(1), 84 इत्यादि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में महिलाओ के भरण-पोषण से सम्बंधित धारा- 144, पीड़ित प्रतिकर स्कीम 396, महिलाओ की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में धारा 43, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की धारा 116 व 120, हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 धारा 18ए, 18 (2), 19, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 14ए, 23, हिन्दू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम 1956 धारा 6, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 धारा 13 (2) 13ई 24, 25, 26 इत्यादि, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मुस्लिम महिला तलाक के (अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019, भरण- पोषण से सम्बंधित महिला को अधिकार है।, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, कारखाना अधिनियम 1948, धारा 7, 19, 27, 42, 48, 66 (1) (ख), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातृत्व लाभ (प्रसूति प्रसुविधा) अधिनियम 1961,घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओ का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (एम0टी0पी0) एक्ट 1971, कार्यस्थल पर महिलाओ का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, बालको का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, कमीशन आफ सती (निवारण) अधिनियम 1987, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार सरंक्षण) अधिनियम-2019 इत्यादि विधियां प्रभावी है।[46]

स्त्री अस्मिता (नारीवाद) के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक प्रवृत्तियाँ

भारतीय न्यायालयों ने समता मानव गरिमा रक्षण और यौन न्याय के आधार पर नारीवादी विधिशास्त्र का विकास किया। इस सन्दर्भ में न्यायालयों ने भी न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है तथा अपने न्यायिक निर्णयों में इस बात का उल्लेख किया हैं कि नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों तरह से नारी सम्मान एवं न्याय अपेक्षित है। राज्य किसी भी तरह विभेदीकरण नहीं कर सकता है। नकारात्मक रूप में लिंग पर आधारित सभी तरह के विभेदीकरण का निषेध किया गया है, तो सकारात्मक रूप में अपेक्षा की गई है कि राज्य संरक्षात्मक विभेदीकरण या affirmative action द्वारा महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान कर उनके साथ हुई ज्यादतियो से निजात दिलाएगा और उनकी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा।

एयर इंडिया बनाम नर्गिस मिर्जा[47] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एयर इंडिया एन्ड एयर लाइन्स के लिंगभेद आधारित रेगुलेशन (प्रथम गर्भ धारण पर सेवानिवृत्ति) को अवैधानिक घोषित किया और कहा कि यह मानव प्रकृति में हस्तक्षेप और सामान्य प्रकृति को विचलित करना है। ऐसा कार्य संवेदनाहीन और क्रूर ही नही वरन् भारतीय मातृत्व का खुला अपमान भी है।

[46] अतुल कुमार यादव, प्रो0 ए0 के0 नवीन: भारत में नारीवाद का उद्भव एवं विकास: विधायी एवं न्यायिक प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (शोध पत्र) वाराणसी मैनेजमेंट रिव्यू (अक्टूबर-दिसम्बर) 2019, वाल्यूम V नम्बर-4 आई0 एस0 एस0 एन0: 2395-0390 पृष्ठ संख्या-41

[47] (1979) 4 एस0 सी0 सी0 335

रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया[48] के मामले में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि गर्भधारण पूर्व प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अंतर्गत लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए ही की जा सकती है।

चारु खुराना बनाम भारत संघ[49] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उस नियम को विभेदकारी घोषित किया जो महिलाओं को सिनेमा में मेकअप आर्टिस्ट का कार्य करने से निषिद्ध करता था,न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने स्पष्ट किया कि, "*The substance of gender justice is the cultivated achievement of intrinsic human rights. Equality cannot be achieved unless there are equal opportunities and if a woman is debarred at the there show to enter in to sphere of profession for which she is eligible and qualified, it is well nigh impossible to conceive of equality. It also clips her capacity to earn her livelihood which affects her individual dignity*."

उत्तराखण्ड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट आफ यू.पी[50] का एक अच्छा मामला है। इसमें समान कार्य के लिए पुरूष एवं महिला शिक्षकों के वेतन में भिन्नता को चुनौती दी गई थी समान पद पर समान कार्य करने वाले पुरूष शिक्षकों को महिला शिक्षकों से अधिक वेतन दिया जाता था। उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक मानते हुए महिला शिक्षकों को भी पुरूष शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने के आदेश दिये।

मेनिका गांधी बनाम भारत संघ[51] यह मामला मानवीय अधिकारों के पूर्ण बहाली में न्यायपालिका के अमूल्य योगदान का द्योतक है, जो न लिंग आधारित भेदभाव के उन्मूलन के संदर्भ में बल्कि सभी मानव समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विनिश्चय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया आयाम प्रदान किया। *सुरजीत सिंह फिंड बनाम जीतकौर*[52] के मामले में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायलाय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी महिला के कौमार्य परीक्षण के लिए अनुमति देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त उसके एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है।

हुस्नआरा खातून बनाम विहार राज्य[53] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया, कि "शीघ्रतर परीक्षण" और "निशुल्क विधिक सहायता' ' के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक आवश्यक तत्व है।

म्युनिस्पल कार्पो0 दिल्ली बनाम फीमेल वर्कर्स[54] इस महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए आदेश किया कि मातृत्व अवकाश प्रलाभ अधिनियम 1961 के लाभ दिल्ली नगर निगम में मास्टर रोल के तहत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी महिलाकर्मियों को भी प्रदान किये जायें।

[48] ए० आई० आर० 2011 बम्बई 171

[49] (2015) 1 एस0 सी0 सी0 192

[50] ए0 आई0 आर0 1992 सुप्रीम कोर्ट 1965

[51] ए0 आई0 आर0 1978 सुप्रीम कोर्ट 597

[52] ए0 आई0 आर0 2003, पंजाब एंड हरियाणा 353

[53] ए0 आई0 आर0 1979 सुप्रीम कोर्ट 1360

[54] ए0 आई0 आर0 (1995) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 14

देविका विश्वास बनाम भारत संघ[55] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नसबन्दी की नीति लिंग-तटस्थ परिवार नियोजन तथा नसबन्दी में नीतियों तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमों को लिग तटस्थ बनाया जाना आवश्यक है तथा महिला नसबन्दी पर जोर देना समाप्त कर देना चाहिये। यदि राज्य नसबन्दी नीति को लिंग-तटस्थ बनाता है तो यह नारीवाद के उस लक्ष्य को मज़बूत करता है जिसमें समान जिम्मेदारी, समान जोखिम, और समान निर्णय-अधिकार की बात की जाती है। ऐसी नीति महिलाओं पर दशकों से लदे "परिवार नियोजन की एकमात्र एजेंट" की भूमिका को समाप्त करती है और शरीर पर नियंत्रण के अधिकार (right over one's own body) को वास्तविक रूप से स्थापित करती है।

कामन काज (एक पंजीकृत सोसाइटी) बनाम भारत संघ और एक अन्य[56] के मामले में मृत्यु का वरण करने (यूथेनेशिया) का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा घोषित 'गरिमा पूर्ण जीवन' के साथ-साथ ही समाहित है। तदनुसार सक्रीय ईच्छा मृत्यु को पैसिव(यूथेनेशिया) के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

सुकन्या संथा बनाम भारत संघ और अन्य[57] के मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चन्द्रचूड ने कहा कि अब से आगे यह न्यायालय जाति, लिंग, निर्योग्यता इत्यादि के आधार पर जेलों के भीतर किसी भी प्रकार के विभेद का स्वप्रेरणा संज्ञान लेगा और उसे इन रिः डिसक्रिमिनेशन इनसाइड प्रिजन्स इन इण्डिया के नाम से जाना जायेगा और यह अभिनिर्धारित किया कि जेलों के भीतर रजिस्टर में 'जाति' का कालम और विचाराधीन और या दोषसिद्ध कैदी का कालम निरस्त (समाप्त) कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस निर्णय में हाइलाइटेड के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा है कि मॉडल प्रिजन मैन्यूअल, 2016 और मॉडल प्रिजन्स एण्ड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023 में जाति-आधारित भेदभाव को दूर किया जाए।

शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ और एक अन्य[58] के मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और ए. एम. खानविल्कर एवं डॉ. डी. वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्तिगण ने हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों के आदेश से एवं अन्यथा भी 'ऑनर किलिंग' की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह निर्णय दिया कि देश में जब भी और जहाँ भी ऐसी घटना घटित हो, भा0 द0 सं0 की धारा 141,143,503 एवं 506 के साथ अन्य समुचित धाराओं में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके दोषियों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। न्यायालय ने कहा कि किसी वयस्क लड़की या लड़के को अपने पसंद से अपना जीवन-साथी चुनने का अधिकार है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21 द्वारा संरक्षित है।

---

[55] ए0 आई0 आर0 2016 सुप्रीम कोर्ट 481

[56] रिट याचिका (सिविल) संख्या 215 वर्ष 2005, जे0 एल0 टी0 (2018) एस0 सी0 जे0 621; अरुणा रामचन्द्र शानबाग बनाम भारत संघ और अन्य (2011) 4 एस0 सी0 सी0 454; पी0 राथिनम बनाम भारत संघ और एक अन्य (1994) 3 एस0 सी0 सी0 394; ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996) 2 एस0 सी0 सी0 648

[57] रिट याचिका (सिविल) संख्या 1404 वर्ष 2023; जे0 एल0 टी0 (2024) एस0 सी0 जे0 29: ए0 आई0 आर0 2024 एस0 सी0 5201

[58] रिट याचिका (सिविल) संख्या 231 वर्ष 2010; जे0 एल0 टी0 (2018) एस0 सी0 जे0 57 जे0 टी0 2018(03) एस0 सी0 1811

राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध है। अतः विधि निर्माण होने तक इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय में जारी दिशा-निर्देशों के तहत अन्तर जातीय/अन्तर-धार्मिक विवाह करने वाले लड़के-लड़कियों को उनके पसंद का सम्मान करते हुए संरक्षण प्रदान किया जाय।

शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में[59] सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 लागू हुआ, जो तत्काल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को अपराध बनाता है।

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता के उन्मूलन के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केरल के *सबरीमाला मंदिर* में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी है। *4:1* के बहुमत से हुए फैसले में पांच जजों की संविधान पीठ ने साफ कहा है कि हर उम्र वर्ग की महिलाएं अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी। 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश की सैंकडों साल पुरानी परंपरा को असंवैधानिक करार दिया गया है।[60]

विगत वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष में एक और फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिगता को अपराध बताने वाले कानून को रद्द किया, कहा *L.G.B.T.* को भी सामान्य नागरिक की तरह अधिकार है और कहा कि *L.G.B.T.* समुदाय को भी देश के सामान्य नागरिक की तरह संविधान से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और धारा 377 सहमति से दो व्यस्कों द्वारा यौन संबंध बनाने को लेकर समानता, निजता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकारों का हनन करती है।[61] लैंगिक भेदभाव के उन्मूलन के सन्दर्भ मे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जस्टिस ए0एम0 खानविलकर के साथ मुख्य फैसला सुनाते हुए कहा, "महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा और समानता को प्रभावित करने वाले कानून के किसी भी प्रावधान ने संविधान के क्रोध को आमंत्रित किया है। यह स्पष्ट रूप से मनमाना है और यह कहने का समय है कि *पति पत्नी का मास्टर नहीं है*। अन्य लिंग पर एक लिंग की कानूनी संप्रभुता गलत है। धारा 497 स्पष्ट रूप से मनमानी है।" ...सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि ये महिला को गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती है जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।[62]

स्त्री अस्मिता के परिप्रेक्ष्य में नारीवाद के लिए प्रमुख चुनौतियां

नारीवादियों के समक्ष अलग-अलग प्रकार की चुनौतियाँ हैं। चूँकि प्रत्येक समाज की संस्कृतियाँ अलग हैं। इसलिये महिलाओं की पराधीनता और शोषण के कारण तथा संरचनाएँ भी अलग-अलग हैं। नारीवादी आंदोलन के समक्ष सबसे प्रमुख व्यवहारिक चुनौती स्त्रियों के प्रति बनी बनाई रूढ़ अवधारणाएं और पूर्वाग्रह हैं। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के विरुद्ध की मानसिकता का निर्माण हजारों वर्षों का परिणाम है। असंख्य सुधारों के बावजूद भी लैंगिक भेदभाव सार्वजनिक जीवन की एक हकीकत है। नारीवादी आंदोलन की एक प्रमुख चुनौती समाज में विद्यमान

[59] ए0 आई0 आर0 2017 सुप्रीम कोर्ट 460

[60] इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स बनाम स्टेट आफ केरला एंड अदर्स रिट पिटिशन सिविल नंबर 373/2006, जे0 एल0 टी0 (2018) एस0 सी0 जे0 23:जे0 टी0 2018(10) एस0 सी0 2019

[61] नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 121/ 2018

[62] जोसेफ स्राइन बनाम भारत संघ रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 194 /2017

असमानता और स्त्रियों के शोषण की समाप्ति के विचार को लेकर नारीवादी आंदोलन से जुड़े विचारकों के मध्य असहमति भी है। नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य पितृसत्तात्मक समाज को समाप्त करना है लेकिन नारीवाद के अंतर्गत इसके तरीके पर सहमति नहीं है। जिस वजह से नारीवादी आंदोलन की गति धीमी रही है। भारत में नारीवाद की पूर्ण प्राप्ति अभी दूर का स्वप्न है इसे आसानी से अथवा शीघ्रता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि हाल के वर्षों में महिलाओं को पुरुषो के बराबर अधिकार प्रदान करने के लिए महिला सशक्तीकरण के द्वारा, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं किंतु अन्य विकसित देशों की तरह भारत में नारीवाद के बेहतर संवर्धन के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस सन्दर्भ में सर्वप्रथम भारत से लिंग आधारित भेदभाव के सभी प्राकल्पों का उन्मूलन अति आवश्यक है। आज जब कि पूरा देश व समाज लिंग आधारित भेदभाव की समस्या से जूझ रहा है। आज भारतीय समाज के हर स्तर पर लिंग आधारित भेदभाव अस्तित्व में है, यदि हम भारत को सही मायने में एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते है तो लिंग आधारित भेदभाव की कलंक रुपी समस्या को अतिशीघ्र पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा जिससे व्यक्तियों के समानता के अधिकार की रक्षा हो सके। मानव गरिमा एवं मूल्य की अभिवृद्धि के लिए तथा सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने की दृढ़ इच्छाशक्ति निश्चित रूप से लिंग आधारित भेदभाव के सभी प्राकल्पों के उन्मूलन हेतु सतत आंदोलन को एक महान सफलता की ओर अग्रसर करेगी। लैंगिक समानता को मापने के लिये महिलाओ के लिये लागू किये गये कानूनों की संख्या यदि मापदंड है तो कणमात्र सन्देह किये बिना, समानता और सामाजिक न्याय के लिये प्रतिबद्ध भारत विश्व का सर्वाधिक प्रगतिशील देश होगा और तभी जाकर भारत में नारीवाद के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति हो सकेगी।

स्त्री अस्मिता के परिप्रेक्ष्य में नारीवाद के लिए प्रमुख संभावनाएँ

समकालीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शिक्षा के व्यापक प्रसार ने यह स्थापित कर दिया है कि स्त्री और पुरुष के मध्य मानसिक क्षमता, बौद्धिक योग्यता, उत्तरदायित्व-निर्वहन अथवा शारीरिक दक्षता के आधार पर स्वाभाविक रूप से कोई स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता। जहाँ भी स्त्रियों को समुचित अवसर प्राप्त हुए हैं, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों विशेषतः सैन्य सेवा और खेल में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित कर यह सिद्ध किया है कि लिंग आधारित योग्यता-भेद की अवधारणा वस्तुतः अवैज्ञानिक और निराधार है। अतः स्त्री को केवल 'अशक्त' अथवा 'अबला' के रूप में देखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। स्त्रियों की निम्नतर सामाजिक स्थिति प्रकृति का परिणाम नहीं, बल्कि समय के साथ निर्मित सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक रूढ़ियों और पितृसत्तात्मक संरचनाओं का प्रतिफल है। नारीवादी आंदोलन ने इस कृत्रिम असमानता को चुनौती दी है, और इसका प्रभाव विश्व के लगभग सभी समाजों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ा है। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक और विधिक परिस्थितियों में व्यापक सुधार परिलक्षित हुए हैं। मताधिकार की प्राप्ति, शिक्षा के अवसरों का विस्तार, निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों की मान्यता, विवाह और तलाक संबंधी विधिक प्रावधानों में संशोधन, तथा दहेज एवं बाल विवाह पर प्रतिबंध जैसे विधिक उपायों ने स्त्री की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा निरंतर संचालित महिला-सशक्तिकरण कार्यक्रमों ने भी सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न किए हैं। समकालीन नारीवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के समरूप बनाना नहीं है, बल्कि जैविक

भिन्नताओं को स्वीकारते हुए उनकी अंतर्निहित क्षमताओं के पूर्ण विकास हेतु अनुकूल सामाजिक एवं विधिक वातावरण सुनिश्चित करना है। इस विचारधारा के अनुसार समाज में व्याप्त कृत्रिम असमानताओं और पितृसत्तात्मक अवरोधों को समाप्त कर ही वास्तविक लैंगिक समानता स्थापित की जा सकती है। स्पष्टतः, स्त्री-पुरुष समानता न केवल सामाजिक न्याय की अनिवार्य शर्त है, बल्कि किसी राष्ट्र के समग्र, संतुलित और सतत् विकास के लिए भी अपरिहार्य है। भविष्य में यदि समाज में नारी एवम् पुरुष के मध्य समानता हो जाएँ तो नारीवाद आन्दोलन के रूप में नहीं होगा। यह वैचारिक एवं सैद्धान्तिक रूपों पर सदा जीवित रहेगा एवम् अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। नारीवाद सदा किसी ठोस असमानता या शोषण के आधार पर ही कार्य करता है। भविष्य में नारी के जीवन में असमानता होने पर नारीवाद विरोध में स्वतः उत्पन्न होगा एवम् असमानता या शोषण 'ना होने पर नारीवाद का आन्दोलन रूप स्वतः खत्म होगा। नारीवाद अध्ययन के विषय के रूप में एवम् वैचारिक स्तर पर सदा नारियों के सहयोगी के रूप में समाज में स्थापित रहेगा। वर्तमान समाज की नारी की असमानताओं एवं समस्याओं के द्वारा ही भविष्य का नारीवाद निर्मित एवं निर्धारित होगा। वर्तमान समय के विकसित एवं विकासशील देशों की नारियों की समस्याएँ भविष्य के नारीवाद को रूप देने का कार्य करेंगी क्योंकि वर्तमान से भविष्य निःसृत होता है। नारीवाद ने सदा नयी सोच, नये विचारों एवम् नयी योजनाओं का स्वागत किया है। नारीवाद स्थिर नहीं है; एक गतिशील आन्दोलन है। भविष्य में भी नारीवाद सक्रिय रूप से नारी को प्रत्येक क्षेत्र में समानता दिलाने के लिए प्रयासशील रहेगा। नारी के जीवन के प्रत्येक पक्ष से नारीवाद विभिन्न रूपों से जुड़ा है। भविष्य में भी यह नारी के जीवन से जुड़ी असमानताओं को दूर करने में नारियों के साथ रहेगा। समाज को भविष्य में समानता पर आधारित आदर्श समाज के निर्माण के लिए नारीवाद का सहयोगी बनना चाहिए। नारीवाद नारी को समानता दिलाने में प्रयासरत है, तो समाज द्वारा विरोध क्यों होता है? नारीवादियों द्वारा समाज का ही कार्य सम्पन्न होता है। जब तक व्यवहारिकता में नास्यिों को पुरुष के समान नहीं स्वीकार किया जायेगा, तब तक एक आदर्श समाज नहीं बन सकता है।

निष्कर्ष

स्त्री अस्मिता का प्रश्न केवल समाजशास्त्र या साहित्य का विषय नहीं है बल्कि यह मानव-सभ्यता के आत्मबोध की वह परीक्षा है,जिसमें युगों से मानवता असफल होती रही है। नारीवाद इसी असफलता के विरुद्ध उत्पन्न वह वैचारिक चेतना है जो न केवल स्त्री के अधिकारों की बात करती है, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना की मांग करती है जहाँ मनुष्य की गरिमा का निर्धारण उसके लिंग से नहीं, उसकी मानवता से हो। चूँकि भारत की ऐतिहासिक धारा में स्त्री एक विरोधाभासी प्रतीक रही है। कहीं वह देवी स्वरूपा, शक्ति, प्रकृति और सृजन की जननी है, तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों, पितृसत्ता और दमन की शिकार। यह दोहरेपन की कहानी केवल धार्मिक प्रतीकों का भ्रम नहीं; यह भारतीय समाज के उस मनोवैज्ञानिक विभाजन का दर्पण है जहाँ आदर्श और व्यवहार दो विपरीत दिशाओं में चलते हैं। दरअसल शोधार्थी का यह शोध हमें यह समझने में सहायक है कि भारतीय नारी की अस्मिता का संकट न तो प्राकृतिक था, न जैविक; वह स्पष्ट रूप से सामाजिक निर्माणवाद (social construction) की उपज था। स्त्री की पराभूत स्थिति धर्म, संस्कृति, परंपरा, परिवार, और सामाजिक संस्थाओं की उन परतों से निर्मित हुई जिन्होंने उसे आरंभ से ही "द्वितीय" स्थान दिया। इस "द्वितीयत्व" को ही चुनौती देना नारीवाद का मूल स्वर है। धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय आयामों ने भी स्त्री अधिकारों को मानवाधिकारों में रूपांतरित किया विश्व

स्तर पर CEDAW (1979), बीजिंग घोषणापत्र (1995), UDHR (1948) आदि दस्तावेजों ने स्त्री-अधिकारों को "विशेष अधिकार" नहीं, बल्कि मानवाधिकार घोषित किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि स्त्री के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव मानवाधिकार का उल्लंघन है, न कि मात्र सामाजिक कुरीति। इन अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों ने भारतीय न्यायालयों के निर्णयों को भी प्रभावित किया। अब भारत में न्याय का संदर्भ केवल घरेलू कानूनों तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों तक विस्तृत है। भारतीय विधिक विकास स्त्री-समानता की यात्रा का प्रमुख स्तंभ है। भारतीय संविधान ने स्त्री को समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और अवसर का अधिकार देकर उसे एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में परिभाषित किया। न्यायपालिका ने इन अधिकारों को व्याख्याओं के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ करके स्त्री को विधिक रूप से सुरक्षित किया। जहाँ मेनका गांधी की याचिका से लेकर के विशाखा केस के गाइडलाइन ने कार्यस्थल की सुरक्षा की नींव रखी, वहीं शायरा बानों, सबरीमाला मंदिर केस ने धार्मिक प्रथाओं में समानता का मानदंड स्थापित किया, जोसेफ श्राइन निर्णय ने स्त्री की "agency" और "consent" को कानूनी महत्व दिया, और लता सिंह केस जैसे फैसलों ने व्यक्तिगत पसंद को संविधान की आत्मा से जोड़ दिया। इन निर्णयों ने स्पष्ट किया कि स्त्री पर नियंत्रण न तो प्रकृति का नियम है, न समाज का अधिकार; वह केवल अन्याय का ऐतिहासिक अवशेष है। भारत में स्त्री अस्मिता के यथार्थ और उपलब्धियाँ की बात की जाए तो निश्चित रूप से भारत में नारीवाद और स्त्री-सशक्तिकरण के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संपत्ति में समान अधिकार, मातृत्व लाभ, घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और शिक्षा में समान अवसर ये सभी स्त्री अधिकारों के विधिक स्तंभ हैं। फिर भी यथार्थ की कई दरारें अब भी मिटने को तैयार नहीं लैंगिक हिंसा, दहेज-हत्या, महिला तस्करी, कार्यस्थल पर भेदभाव, काँच की छत (glass ceiling), और सामाजिक रूढ़ियों के रूप में पितृसत्ता अब भी जीवित है। संविधान ने स्त्री को अधिकार दिए, पर समाज ने अब भी उसके अस्तित्व के सामने दीवारें खड़ी कर रखी हैं। यही वह क्षेत्र है जहाँ बदलाव का सबसे बड़ा संघर्ष होना है। नारीवाद का भविष्य केवल अधिकारों तक सीमित नहीं होगा; वह मानसिकता के परिवर्तन पर आधारित होगा। अब आवश्यकता है न्याय में लैंगिक संवेदनशीलता (gender-sensitive jurisprudence), शिक्षा में लैंगिक समानता, मीडिया में स्त्री की गरिमामयी प्रस्तुति, कार्यस्थल पर अधिकारों का कठोर क्रियान्वयन, और परिवार में समान भावनात्मक भागीदारी। स्त्री को समानता केवल विधिक रूप से नहीं, जीवन के प्रत्येक व्यवहारिक क्षेत्र में प्राप्त हो यही अगला अध्याय है। नारीवाद का भविष्य स्त्री को पुरुष जैसा बनाने में नहीं, स्त्री को स्त्री होने की स्वतंत्रता देने में है। प्राकृतिक भिन्नताओं के साथ भी समान गरिमा और अधिकार यही वह संतुलन है जहाँ एक वास्तविक सशक्त समाज जन्म लेता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तके एवं ग्रन्थ

1. के पी प्रमिला स्त्री अध्ययन की बुनियाद, संस्करण (2015) राज कमल प्रकाशन, नई दिल्ली
2. गोस्वामी तुलसीदास: श्री रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर
3. डा0 अर्चना श्रीवास्तव: नारीवाद, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्याय संस्करण-2011, श्रियांशी प्रकाशन आगरा

4. डा0 गंगा सहाय शर्मा; ऋग्वेद (सायण आचार्य के भाष्य पर आधारित ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद) संस्करण (2016) संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली ISBN : 978-93-5065-223-7
5. डा0 पायल साहनी: नारीवाद भारतीय संदर्भ में एक दार्शनिक अध्धयन, प्रथम संस्करण 2022 संवेदना प्रकाशन नई दिल्ली
6. डा0 रूचि अग्रवाल: भारतीय लोकतंत्र में महिला विकास से सम्बंधित समस्याएँ एवं समाधान; प्रथम संस्करण (2017) राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर
7. डा0 सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण 2011, नई दिल्ली
8. तपोनिष्ठ पं0 श्री राम शर्मा आचार्य, ऋग्वेद संहिता, सरल हिन्दी भावार्थ सहित, भाग - 2, परिशिष्ट-1, प्रकाशक- ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, 1995
9. पंडित श्रीरामनारायण दत्त जी शास्त्री: "श्री दुर्गासप्तशती" गीता प्रेस गोरखपुर कोड 118
10. पंडित हरिशंकर शास्त्री मनु स्मृति: संस्करण-2024, साक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली
11. भगवती देवी शर्मा, ऋग्वेद संहिता, सरल हिन्दी भावार्थ सहित, भाग - 2, प्रकाशक- ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, 1995
12. महादेवी वर्मा: श्रृंखला की कड़िया चतुर्थ संस्करण-2017 लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
13. मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, कोड-539 इक्कीसवां पुनर्मुद्रण- सम्वत-2074,
14. मैथिलीशरण गुप्त: यशोधरा चतुर्थावृत्ति 1997 साहित्य प्रेस चिरगांव झांसी
15. राधा कुमार स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800-1990 संस्करण 2014, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली
16. स0 रेखा मोदी, ए क्यूट फार रूट्स स्त्री शक्ति, स्त्री पब्लिकेशन, कोलकाता, 1999
17. सरला माहेश्वरी: नारी प्रश्न, राधा कृष्ण प्रकाशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली 2007
18. साधना आर्य,निवेदिता मेनन एवं जिनी लोक नीता नारीवादी राजनीती; संघर्ष एवं मुद्दे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन नई दिल्ली-2001
19. सीमा दीक्षित: स्त्री अस्मिता: शय्या से सर्वोच्च अदालत तक, द्वितीय संस्करण-2017 सामयिक बुक्स प्रकाशक नई दिल्ली
20. Friedrich Engel: The Origin of the Family, Private Property and the State first Edition 1884 Hottingen Zurich
21. Harold L Smith, British Feminism in the Twentieth Century, Edward Elgar publishing Limited England, 1990
22. Leslic L.Heywood, The Women's movement Today An En-cyclopedia of third-wave Feminism, Volume-1, A-Z, Green wood press, London, 2006
23. Simon De Beauvoir: The Second Sex, 1949, Random House Inc New York, eISBN: 978-0-307-81453-1
24. Virginia Woolf: A Room of One's Own Mariner Publishing Boston USA, First edition (December 27, 1989
25. Wollstonecraft, Mary. A Vindication of the Rights of Woman. Ed. Miriam Brody Kramnick. Rev. ed. Harmondsworth: Penguin, 2004. ISBN 0-14-144125-9.

वाद सूचीः

1. अरुणा रामचन्द्र शानबाग बनाम भारत संघ और अन्य4 (2011) एस0 सी0 सी0 454;

2. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स बनाम स्टेट आफ केरला एंड अदर्स रिट पिटिशन सिविल नंबर-373/2006 जे0 एल0 टी0 (2018) एस0 सी0 जे0 23जे:0 टी0 2018(10) एस0 सी0 2019
3. उत्तराखण्ड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट आफ यूपी ए० आई० आर.0 1992 सुप्रीम कोर्ट 1965
4. एयर इंडिया बनाम नर्गिस मिर्जा)1979) 4 एस0 सी0 सी0 335
5. कामन काज) एक पंजीकृत सोसाइटी (बनाम भारत संघ और एक अन्य रिट याचिका) सिविल पंजाब राज्य (संख्या 215 वर्ष2005 , जे0 एल0 टी0 (2018) एस0 सी0 जे0 621
6. चारु खुराना बनाम भारत संघ)2015) 1 एस० सी० सी० 192
7. जोसेफ स्राइन बनाम भारत संघ रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 194 /2017
8. ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य2 (1996) एस0 सी0 सी0 648
9. देविका विश्वास बनाम भारत संघ ए0 आई0 आर0 2016 सुप्रीम कोर्ट 481
10. नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 121/2018
11. नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 121/ 2018
12. पी0 राथिनम बनाम भारत संघ और एक अन्य3 (1994) एस0 सी0 सी0 394
13. मेनिका गांधी बनाम भारत संघ ए० आई० आर0 1978 सुप्रीम कोर्ट 597
14. म्युनिस्पल कार्पो० दिल्ली बनाम फीमेल वर्कर्स ए० आई० आर0 (1995) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 14
15. रिट याचिका) सिविल (संख्या 215 वर्ष2005 , जे0 एल0 टी0 (2018) एस0 सी0 जे0 621
16. रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ए० आई० आर० 2011 बम्बई 171
17. शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ और एक अन्य रिट याचिका ;2010 वर्ष 231 संख्या (सिविल) जे0 एल0 टी0 (2018) एस0 सी0 जे0 57 जे0 टी0 2018(03) एस0 सी0 1811
18. शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य ए0 आई0 आर0 2017 सुप्रीम कोर्ट 460
19. सुकन्या संथा बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका) सिविल (संख्या 1404 वर्ष ;2023 जे0 एल0 टी0 ((2024एस0 सी0 जे0 :29ए0 आई0 आर0 2024 एस0 सी05201
20. हुस्त्रआरा खातून बनाम विहार राज्य ए० आई० आर0 1979 सुप्रीम कोर्ट 1360

अधिनियमः

1. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (1956)
2. कमीशन आफ सती (निवारण) अधिनियम (1987)
3. कारखाना अधिनियम (1948)
4. कार्यस्थल पर महिलाओ का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम (2013)
5. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम एम०टी०पी० एक्ट (1971)
6. घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2005)
7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
8. दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961)
9. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006)

10. बालको का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)
11. भारत का संविधान 1950
12. भारतीय न्याय संहिता 2023
13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023
14. महिलाओ का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम (1986)
15. मातृत्व लाभ (प्रसूति प्रसुविधा) अधिनियम (1961)
16. मुस्लिम महिला तलाक के (अधिकार का संरक्षण) अधिनियम (2019)
17. राष्ट्रीय महिला आयोग (1990)
18. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)
19. हिन्दू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम (1956)
20. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)
21. हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम (1956)
22. हिन्दू विवाह अधिनियम (1955)
23. आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारो पर अभिसमय (1966)
24. दासता अभिसमय (1955)
25. महिलाओ के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने सम्बन्धी अभिसमय का वैकल्पिक प्रोटोकॉल (1999)
26. महिलाओ के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्ति की घोषणा (1967)
27. महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर अभिसमय, (1954)
28. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948)
29. मानवाधिकारों पर विएना घोषणापत्र (1993)
30. मानवाधिकारों से सम्बन्धित तेहरान घोषणा (1968)
31. यातना एवं निर्दयी, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दण्ड के विरूद्ध वैकल्पिक प्रोटोकाल - (2002)
32. यातना क्रूरता एवं अमानवीयता के विरुद्ध अभिसमय 1984
33. यू०एन० वुमन, बालक के व्यवहार कार्यप्रणाली के अधिकारों पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल 2014
34. विवाहित महिलाओ की राष्ट्रीयता संबंधी अभिसमय (1957)
35. सिविल और राजनैतिक अधिकारों का अभिसमय (1966)
36. न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स घोषणा पत्र, 1969

सम्मेलनः

1. प्रथम विश्व महिला सम्मेलन, (मेक्सिको, 1975)
2. द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन (कोपनहेगन, 1980)
3. तीसरा विश्व महिला सम्मेलन, (नैरोबी, 1985)
4. चौथा विश्व महिला सम्मेलन, (बीजिंग, 1995)

शोध पत्र

1. अतुल कुमार यादव, प्रो0 ए0 के0 नवीन: भारत में नारीवाद का उद्‌भव एवं विकास: विधायी एवं न्यायिक प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (शोध पत्र) वाराणसी मैनेजमेंट रिव्यू (अक्टूबर-दिसम्बर) 2019, वाल्यूम V नम्बर-4 आई0 एस0 एस0 एन0: 2395-0390

समाचार पत्र

1. दैनिक जागरण अखबार 16 सितम्बर 2018

स्थल जाल

1. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/closing-the-gender-gap-in-science
2. https://www.redstockings.org/index.php/a-collective-radical-feminist-declaration
3. https://www.redstockings.org/index.php/rs-manifesto
4. https://history.howstuffworks.com/historical-events/seneca-falls-convention.htm
5. https://nzhistory.govt.nz/politics/womens-suffrage